

8

डिक्री बमुकदमें ईबदाई
 अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:- (मांगी लाल) RAS
 वादपत्र अन्तर्गत धारा:- 53 आर.टी.ए. 1955
 प्रकरण संख्या:- 491/2025

गुरदीप सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी चन्दड़ा तहसील व जिला हनुमानगढ़
 --:वादी

बनाम

- 1 जसपाल सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड 11 चन्दड़ा पोस्ट आफिस नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़
- 2 अजयपाल सिंह पुत्र अमरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चन्दड़ा तहसील व जिला हनुमानगढ़
- 3 कर्मजीत कौर पत्नी गुरजन्त सिंह जाति जटसिख निवासी चन्दड़ा तहसील व जिला हनुमानगढ़
- 4 गुरसेवक सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी चन्दड़ा तहसील व जिला हनुमानगढ़
- 5 बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी चन्दड़ा तहसील व जिला हनुमानगढ़
- 6 मजिन्द्रकौर पत्नी रूप सिंह जाति जटसिख निवासी चन्दड़ा तहसील व जिला हनुमानगढ़
- 7 गुरलालसिंह पुत्र हरिपाल सिंह जाति जटसिख निवासी थेड़ी पोस्ट आफिस फखसर थेड़ी तहसील गिदड़वाह जिला मुक्तसर
- 8 रविन्द्र सिंह पुत्र मानसिंह जाति जटसिख निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़
- 9 रमनदीप सिंह पुत्र श्री अमरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड 07 चन्दड़ा तहसील व जिला हनुमानगढ़
- 10 हरदीप सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी ज्वालसिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़
- 11 प्रबन्धक बैंक आफ बड़ौदा शाखा संगरिया रोड़ हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़
- 12 प्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा एडीबी हनुमानगढ़ टउन तहसील व जिला हनुमानगढ़
- 13 प्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा लिलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 14 प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा हनुमानगढ़ टउन तहसील व जिला हनुमानगढ़
- 15 प्रबन्धक बैंक आफ बड़ौदा शाखा हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़
- 16 स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़
- 17 चरणजीत कौर पत्नी जसपाल सिंह जाति जटसिख निवासी चंदडा तहसील व जिला हनुमानगढ़

यक कलक्टर
 उपखण्ड अधिकारी
 हनुमानगढ़

18 इमरान खां पुत्र उसमान खां जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील व जिला हनुमानगढ़
 --:प्रतिवादीगण

(6)

वादपत्र अन्तर्गत धारा:- 53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रुबरु हमारे देवीलाल भांभू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री प्रदयूमन सिंह परमार वकील प्रतिवादी सं. 1, 4, 5, 17 व राजपैरोकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:- इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.08.2025 की पालना में तहसीलदार हनुमानगढ के पत्रांक भू.अ./3443 दिनांक 01.10.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष को सुना गया। प्रार्थीया चरणजीत कौर द्वारा विभाजन प्रस्ताव विभाजन की हद तक स्वीकार किया व रास्ता स्वीकृत बाबत एतराज जाहिर किया, जिस पर उभयपक्ष को सुना गया। आपति अस्वीकार की जाती है जिसका निर्णय आदेशिका में लिखवाया गया। वाद पत्र मुताबिक विभाजन प्रस्ताव चक 1 एनडब्ल्यूएन एलएलडब्ल्यू बी खाता सं. 57/13 तादादी 6.325 हैक्टेयर में निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है कि:- वादी सं. 1 गुरदीप सिंह को विभाजन में प्राप्त हिस्सा- प.न. 146/237 मु.न. 72 कि.न. 1/190, 10/063 उत्तरी पश्चिमी दिशा कुल 0.253 हैक्टेयर। प्रतिवादी सं. 2 अजयपाल सिंह .506, प्रतिवादी सं. 9 रमनदीप सिंह 0.506, प्रतिवादी सं. 18 इमरान खान 1.012 को विभाजन में प्राप्त हिस्सा- प.न. 146/236 मु.न. 63 कि.न. 8/253, 13/253, 18 ता 19/506, 22, 23/506 कुल 1.518 हैक्टेयर प.न. 146/237 मु.न. 72 कि.न. 1/063 द.पूर्वी कोने, 2/240, 3/063, 9/013, 10/127 दक्षिण पूर्व कोने कुल .506 महाकुल महायोग 2.024 हैक्टेयर। प्रतिवादी सं. 4 गुरसेवक सिंह को विभाजन में प्राप्त रकबा:- प.न. 146/236 मु.न. 63 कि.न. 1/1/114 पश्चिमी दिशा, 1/2/012, 10/127 पश्चिम दिशा, 11/253, 20, 21 कुल 1.012 हैक्टेयर। प्रतिवादी सं. 5 बलविन्द्र सिंह को विभाजन में प्राप्त रकबा:- प.न. 146/236 मु.न. 63 कि.न. 1/1/114 पूर्व दिशा, 1/2/013, 10/126 पूर्व दिशा, 9, 12 कुल 0.759 हैक्टेयर। प्रतिवादी सं. 8 रविन्द्र सिंह को विभाजन में प्राप्त हिस्सा:- प.न. 146/236 मु.न. 63 कि.न. 2/1/228, 2/2/025 कुल 0.253 हैक्टेयर। प्रतिवादी सं. 10 हरदीप सिंह को विभाजन में प्राप्त हिस्सा:- प.न. 145/235 मु.न. 58 कि.न. 25/1/228, 25/2/025, प.न. 146/235 मु.न. 59 कि.न. 21, 22, 23 प.न. 146/236 मु.न. 63 कि.न. 3/1/228, 3/2/025 महायोग 1.265 हैक्टेयर। प्रतिवादी सं. 7 को विभाजन में प्राप्त हिस्सा:- प.न. 146/235 मु.न. 59 कि.न. 18 कुल .253 हैक्टेयर। प्रतिवादी सं. 17 चरणजीत कौर को विभाजन में प्राप्त हिस्सा:- प.न. 145/236 मु.न. 64 कि.न. 5/1/203, 5/2/025, 5/3/025, 6/1/228, 6/2/025 कुल 0.506 हैक्टेयर। वादी द्वारा वाद पत्र में याचित रास्ता व विभाजन प्रस्ताव में प्रस्तावित रास्ता प.न. 145/236 मु.न. 64 कि.न. 5/1, 6/1 में पूर्वी दिशा में 0.018 हैक्टेयर प्रत्येक किले में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा बदले में वादी के हिस्से खाता सं. 19 के प.न. 145/236 मु.न. 64 कि.न. 12 पूर्वी दिशा में 0.036 हैक्टेयर भूमि कम की जाकर प्रतिवादी सं. 17 को 0.036 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। संलग्न रास्ता पत्रावली 287/2023 अनवान गुरदीप सिंह बनाम जसपाल सिंह में प्रार्थी द्वारा चक 1 एनडब्ल्यूएन प.न. 145/236 मु.न. 64 कि.न. 15/1 पूर्वी सीव पर 0.018 हैक्टेयर का रास्ता चाहा है, उक्त रास्ता बाबत विभाजन प्रस्ताव में रास्ता प्रस्तावित किया गया है तथा बदले में प्रार्थी की खातेदारी भूमि प.न. 145/236 मु.न. 64 कि.न. 12 पूर्वी दिशा में 0.018 भूमि अप्रार्थीया चरणजीत कौर को दी जा सकती है, प्रस्तावित किया है अतः किला नं. 15/1 की पूर्वी सीव खाला के पश्चिम चिपते 0.018 का रास्ता स्वीकृत किया जाता है, तथा प्रार्थी/वादी गुरदीप सिंह की भूमि प.न. 145/236 मु.न. 64 कि.न. 12 पूर्वी दिशा में 0.018 कम कर अप्रार्थीया चरणजीत कौर को खातेदार काश्तकार

मध्यक कलक्टर
व उपप्राधिकारी
हनुमानगढ

घोषित किया जाता है। इस प्रकार 3 बीघे में स्वीकृत रास्ता भूमि के बदले गुरदीप सिंह के नाम उक्त आराजी कि.न. 12 में 0.054 कम कर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीया चरणजीत कौर के नाम अमलदरामद किया जावे। उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता अलग अलग व रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व खातेदार काश्तकार का कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार अमलदरामदगी कर लगाम कायम किया जावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। संलग्न रास्ता पत्रावली अनवान गुरदीप सिंह बनाम जसपाल सिंह प्र.स. 287/2023 पर उक्त आदेश प्रभावी होगा।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 05/02/2026 को जारी किया गया।

नोट:- डिक्रीत आराजी रहन हो तो, बाद रहन मुक्त के डिक्री का निष्पादन किया जावें।

Maingi Lal
 मांगी लाल RAS
 सहायक कलेक्टर
 एवं उपसह सहायक अधिकारी
 हनुमानगढ